

# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम/द्वितीय सीकर

क्रमांक- जिशिअ/माप्र /सी/शैप्र/प्रशिक्षण/17/3851

दिनांक:- 26.05.2017

समस्त संस्था प्रधान  
राउमावि/रामावि (बालक/बालिका)  
सीकर

विषय :- सीसीई/ एसआईक्यूई परियोजना के अन्तर्गत आयोजित आवासीय प्रशिक्षण में अनुपस्थित /रात्रि समय मे उपस्थित नही रहने वाले/बहिष्कार करने वाले अध्यापको का वेतन नही बनाने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शासन सचिव शिक्षा राज.सरकार के आदेश क्रमांक 1253 दिनांक 05.05.2017 के तहत जारी शिक्षक प्रशिक्षण सामान्य अनुपालना में ग्रीष्मावकाश में 6 दिवसीय सीसीई/एसआईक्यूई आधारित आवासीय शिक्षक प्रशिक्षण में दिनांक 15.05.2017 से 17.06.2017 तक पांच चरणों में आयोजित किये जा रहे है।


प्रशिक्षण शिविरों में बहिष्कार करने वाले, अनुपस्थित अथवा रात्रि के समय अनुपस्थित अध्यापकों के विरुद्ध सी.सी.ए. नियम 17 के तहत कार्यवाही की जानी है। अतः ऐसे अध्यापकों का उपस्थिति प्रमाण पत्र के आधार पर ही वेतन आहरित किया जावे। उपस्थिति के बिना कोई संस्था प्रधान वेतन आहरण की कार्यवाही नहीं करें अन्यथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्क कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

  
जिला शिक्षा अधिकारी  
माध्यमिक प्रथम/द्वितीय सीकर

क्रमांक- जिशिअ/माप्र /सी/शैप्र/प्रशिक्षण/17/3851  
प्रतिलिपि :-

दिनांक:- 26.05.2017

1. शासन सचिव, शिक्षा, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, सीकर।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।
5. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
6. आयुक्त राज्य प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. उप निदेशक, चुरु संभाग चुरु।
8. जिला शिक्षा अधिकारी प्रा.शि. सीकर।
9. ए.डी.पी.सी. रमसा, सीकर/समन्वयक सर्व शिक्षा अभियान, सीकर
10. समस्त ब्लॉक अधिकारी जिला सीकर।
11. केम्प प्रभारी.....
12. रक्षित पत्रावली।

  
जिला शिक्षा अधिकारी  
माध्यमिक प्रथम/द्वितीय सीकर